Indian J. Soc. & Pol. 13 (02):127-130: 2026 **ISSN: 2348-0084 (PRINT)**
31 July 2026 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं अधोसंरचना : उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति के सन्दर्भ में एक विशेष अध्ययन

प्रवीण कुमार गौतम[1]

[1]लोक प्रशासन विभाग, बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

ABSTRACT

किसी भी राष्ट्र की प्रगति वहाँ के नागरिकों के शिक्षा के स्तर पर निर्भर है। कहने के लिए तो हमारा देश साक्षर भारत के धीरे–धीरे समीप पहँच रहा है, किन्तु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव में देश की प्रगति अत्यन्त ही धीमी गति से है। भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार के साथ–साथ प्रत्येक स्तरो पर शिक्षा की गुणवत्ता का प्रश्न भी अत्यन्त ही महत्वपमर्ण है। शासन स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अनेक आयोग बने, सरकार की कार्य योजना में भी शिक्षा में सुधार के लिए अनेक प्रयास किये गये परन्तु आशा के अनुकुल परिणाम प्राप्त नहीं हो पाये। शिक्षा की गुणवत्ता को परखने के लिए कुछ सार्वभौमिक संकेतक हैं। प्रस्तुत शोध आलेख उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा विषय में है जिसके अध्ययन के लिए विभिन्न दस्तावेजों, प्रतिवेदनों, शोध एवं अन्य शोध आलेखों से आंकड़े प्राप्त किये गये है एवं शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

KEYWORDS: *गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अधोसंरचना, ज्ञान, मार्गदर्शन, प्रारंभिक–शिक्षा, सार्वभौमिक, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य।*

प्रस्तावना

फ्रेसिस बेकन ने ज्ञान को सबसे बड़ी शक्ति के रूप में बताया है। यह ज्ञान रूपी शक्ति शिक्षा की गुणवत्ता के अभाव में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वे राष्ट्र जिसे विकसित देश की संज्ञा दी जाती है उनके विकास का रास्ता उनकी शिक्षा से हो कर गुजरती है। आज की दुनिया में शिक्षा निस्संदेह मस्तिष्क को तार्किक बनाने और युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। विकास और शिक्षा साथ–साथ चलने वाली प्रक्रिया हैं। कोई भी समाज अपने नागरिकों को शिक्षित किए बिना प्रगति नहीं कर सकता और खुद को बदल नहीं सकता। जिसका मुख्य आधार प्रारंभिक शिक्षा है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी 189 सदस्य देश सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरा एमडीजी सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करने का संकल्प लेता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) को आर्थिक उन्नति के प्रमुख वाहक के रूप में माना जाता है। क्योंकि यह स्वास्थ्य, राजनीति, सामाजिक सशक्तीकरण, और पूरी मानव पूंजी पर काफी असर डालता है। शिक्षा की भूमिका को विकासशील राष्ट्रों की प्रगति में बतौर मददगार देखा गया था और सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ 2000 में इसे दूसरे सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) में शामिल किया गया था. 'समावेशी और समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने' की कोशिश करते हुए, इसे एक कदम आगे ले जाया गया। इसके लिए भारतीय संसद ने 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009 लागू किया। यह विधेयक निजी स्कूलों में एक चौथाई सीटें समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित करता है। भारतीय संविधान शिक्षा को बच्चे के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है और इसे प्रदान करने के लिए उचित प्रावधान करता है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को औपचारिक स्कूल में संतोषजनक और मानक गुणवत्ता की पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक मानदंडों और मानक को पूर्ण करता है। आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ। परिवारों की आर्थिक भलाई के सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में शिक्षा सार्वभौमिक रूप से प्रभावित है। लड़कियों और महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धि में प्रगति का बच्चों के साथ–साथ परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण विकास एजेंडे में से एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। तथपि शिक्षा में लिंग और सामाजिक अंतर अभी भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। भारत में अभी भी निरक्षर आबादी की संख्या सबसे अधिक है। इसी अवधि के दौरान प्राथमिक और मध्य विद्यालय स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, परन्तु शिक्षा में लैंगिक असमानता अभी भी काफी बनी हुई है। विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय छोड़ने की समस्या सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में है। खराब शैक्षणिक सुविधाओं के साथ–साथ आर्थिक समस्या के कारण रोजगार की तलाश में प्रायः बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। राज्यों में, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक पाई गई है। उत्तर–पूर्वी राज्यों में लड़कों के साथ–साथ लड़कियों की भी

1: Corresponding Author

स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। सामान्य आबादी की तुलना में वंचित वर्गों में स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक पाई गई है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

गुणवत्ता कोई एक गुण ना होकर कई गुणों की विशेषताओं को अपने अन्दर समाहित किये हुए है। गुणवत्ता की कसौटी समय के अनुसार और लाभार्थियों की मांग के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे गुणत्ता की श्रेष्ठता के स्तर को बनाये रखा जा सके। समान्यतः शिक्षा के क्षेत्र गुणवत्ता का निर्धारण विद्यार्थियों में आवश्यक गुणों का विकास करना है और इन गुणों का विकास करने के लिए प्रत्येक विद्यालय एवं शिक्षक की अपनी प्रक्रिया होती है।

शिक्षा की गुणवत्ता से तात्पर्य हैं कि शिक्षा अपने लक्ष्यों व उद्देश्यों को कितनी मात्रा में किस प्रकार तथा कितनी सफलता के साथ प्राप्त करती है। कोई समाज या राज्य अपने समाज व राज्य के नागरिकों की आवश्यकतानुसार लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का निर्धारण करती है और उसी के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था को करती है और शिक्षा यदि राज्य या समाज की आवश्यकतानुसार उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होती है तो यह समझा जाता है कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण है। इसके लिए समय–समय पर सरकार द्वारा अनेक समितियों, आयोग एवं शिक्षाविदों द्वारा अपनी अनंसंसाएं देते रहते हैं। सरकार अपने संसाधनों के अनुकूल सुझाए गये अनुसंसाओं का पालन कर शिक्षा में गुणवत्ता के लिए नियमों को लागू करती है। अनेक अनुसंसाओं के बावजूद भी भारत सकार अपने नागरिकों को केवल साक्षर बनाने पर अभियान केन्द्रित किया था।

सम्बधित साहित्यों की समीक्षाः

शर्मा और खान (2018) ने अपने शोध आलेख में निजी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों की तुलना करते हुए शिक्षक पर प्रभाव, विद्यार्थियों पर प्रभाव, सरकार की भूमिका भौतिक संसाधनों के आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभुख आधार बनया है। अध्ययन में बताया गया है कि निजीकरण के अन्य निहितार्थ भी हैं, जैसे राज्य द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में निजी स्वामित्व की प्रक्रिया की शुरुआत। व्यापक अर्थ में, निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या राज्य द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में निजी प्रबंधन और नियंत्रण को शामिल करना है।

जंगीरा (1994) ने कर्नाटक में कक्षा चार के 2,598 विद्यार्थियों और 442 शिक्षकों को आधर पर अध्ययन कर पाया कि पढ़ने में और अंकगणित में छात्र का प्रदर्शन कम था। राज्यों और स्कूलों के बीच उपलब्धि के स्तर में उल्लेखनीय अंतर था। अध्ययन में यह भी पाया गया कि ग्रामीण और शहरी स्कूलों के बीच सीखने की उपलब्धियाँ एक समान हैं।

बनर्जी (2014) ने अपने अध्ययन में बताया है कि शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया के दौरान जब भी किसी छात्र का मूल्यांकन किया जाता है (रचनात्मक या योगात्मक) तो उद्देश्य केवल यह आकलन करना नहीं होना चाहिए कि छात्र क्या करता है या क्या नहीं जानता है। बल्कि उचिम तरीका यह होना चाहिए कि छात्र को यह अहसास दिलया जाये कि वह क्या जानता है, कितना जानता है, उसने कैसा प्रदर्शन किया है, वह खुद को कहां पाता है, उसे कहां पहुंचना है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे कैसे पहुंचना है आदिकी जानकारी भी साझा किया जाये।

कुमार (2016) ने शिक्षक शिक्षा के निजीकरण और गुणवत्ता संबंधी चिंता का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि सभी योग्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा मिलनी चाहिए। भारत जैसे अत्यधिक आबादी वाले और विकासशील देशों के लिए, अकेले सरकार के लिए समाज की मांग के अनुसार शिक्षक शिक्षा प्रदान करना कठिन होगा।

अध्ययन का उद्देय एवं शोध विधिः

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करना है। यह शोध पत्र द्वितीयक तथ्यों और समसामयिक साहित्य पर आधारित है। द्वितीयक तथ्य इंटरनेट उपलब्ध सरकारी दस्तावेजों के अतिरिक्त प्रकासित शोध पत्रों एवं उत्तर प्रदेश के शिक्षा निदेशालय कार्यालय से एकत्र किया गया है।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की पृष्ठभूमिः

उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। प्रगति के हालिया संकेत के बावजूद, उत्तर प्रदेश अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा जाल जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे में चुनौतियों का सामना कर रहा है। उत्तर प्रदेश मानव पूंजी का केंद्र है, लेकिन इसकी मानव पूंजी की गुणवत्ता नीचे है। इसलिए राज्य की अर्थव्यवस्था अपनी बढ़ती आबादी का लाभ नहीं उठा पा रही है। हालांकि सामाजिक बुनियादी ढांचे के सभी संकेतक अपने आप में एक अलग स्थान रखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा एक ऐसी संस्था है जहाँ बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का पहला चरण प्राप्त होता है जिसे प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा के रूप में जाना जाता है। भारत में प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा प्रदान करते हैं। इन कक्षाओं में आमतौर पर छात्रों की आयु 5 से 12 वर्ष के बीच होती है। प्राथमिक विद्यालय दुनिया भर में औपचारिक शैक्षिक संरचना में बुनियादी आधार संस्थान के रूप में मौजूद है। देश के अन्य सभी राज्यों की तरह, उत्तर प्रदेश में स्कूलों को प्राथमिक में विभाजित किया गया है, जिसमें प्राथमिक और उच्च–प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं।

शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग को 18 मण्डलों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक प्रभाग का नेतृत्व एक संयुक्त शिक्षा निदेशक और एक संभागीय शिक्षा उप निदेशक करता है। ये दोनों अधिकारी माध्यमिक शिक्षा से संबंधित मुद्दों को देखते हैं। राज्य को 75 जिलों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जिले में, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक कार्यालय होता है जो बुनियादी शिक्षा, मध्याह्न भोजन और सभी के लिए शिक्षा (एसएसए) से संबंधित सभी मुद्दों की देखभाल करता है। कभी–कभी, वे साक्षरता और वैकल्पिक शिक्षा का भी प्रबंधन करते हैं (जिला स्तरीय समिति के निर्देशों के अनुसार)। उत्तर प्रदेश में एक विशिष्ट विशेषता यह है कि सभी स्तरों पर पुरुष और

महिला शिक्षकों के लिए अलग–अलग कैडर हैं। 2001–2008 के बीच लगभग 1.71 लाख शिक्षा मित्रों के पद स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 1.65 लाख शिक्षा मित्रों की भर्ती की गई और उन्हें स्कूलों में तैनात किया गया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा मित्र साल में 11 महीनों के लिए बहुत कम वेतन यानी 3,500 रुपये प्रति माह का भुगतान किया गया। राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा मित्रों को नियमित करने का निर्णय लिया है। आरटीई अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार ने उन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एसयूपीडब्ल्यू के लिए प्रशिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया है जिनमें 100 से अधिक छात्र हैं।

शिक्षा का की स्थिति

उत्तर प्रदेश में स्कूलों की वृद्धि तालिका संख्या 1 में दर्शायी गई है। तालिका के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 2014–15 से 2017–18 की अवधि के दौरान राज्य में निजी स्कूलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जबकि सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कमी आई है । इसी अवधि के दौरान मदरसों की संख्या में वृद्धि हुई है।

तालिका संख्या–1

उत्तर प्रदेश में विद्यालयों के निर्माण में उपलब्धि

विद्यालयों की श्रेणी	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
सरकारी विद्यालय	113566	113947	113927	113976
सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय	1405	617	475	364
निजी विद्यालय	37659	38748	38508	40082
म्दरसा	2381	2446	6776	9897
कुल प्राथमिक विद्यालय	**155011**	**155758**	**159686**	**164319**

स्रोतः बेसिक शिक्षा निदेशालय, लखनऊ–2018

उत्तर प्रदेश के स्कूलों में छात्रों का नामांकन चित्र 1 में दिखाया गया है। 2014–15 से 2017–18 की अवधि के दौरान राज्य में विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के नामांकन में प्रति वर्ष कमी आई है जबकि प्रत्येक वर्ष नामांकन में वृद्धि दर्ज होनी चाहिए। कुल मिलाकर, 2017–18 के दौरान कक्षा 1–5 में 2.37 करोड़ छात्र नामांकित पाए गए वहीं 2014–15 में यह संख्या 2.58 करोड़ थी।

तालिका संख्या 2 में विभिन्न आयु समूह और लिंग के आधार पर सरकारी एवं निजी विद्यालयों में नामांकित बच्चों का प्रतिशत में दर्शाया गया है। तालिका के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के 59.6 प्रतिशत छात्र 2022 के दौरान सरकारी स्कूलों में नामांकित पाए गए एवं 36.4 प्रतिश बच्चों का निजी विद्यालय में नामांकन है वहीं 1.1 प्रतिश बच्चे मदरसे में नामांकित हैं जबकि 2.9 प्रतिशत बच्चों का नामांकन नहीं हुआ अथवा वे स्कूल छोड़ चुके हैं। 7–16 वर्ष की आयु वर्ग के आधे से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में नामांकित पाए गए। विभिन्न आयु वर्ग की लड़कियों का नामांकन निजी विद्यालयों में लड़कों की जुलना मे कम है। 15–16 वर्ष आयु वर्ग में सरकारी विद्यालय की तुलना में निजी विद्यालयों में लड़कों एवं लडकियों के नमांकन में वृद्धि देखने को मिल रही है, वहीं पर लडकों की तुलना में लड़कियों द्वारा विद्यालय छोड़नें की संख्या में वृद्धि देखी जा सकजी है।

चित्र संख्या–1

विभिन्न वर्षो में नामांकन की स्थिति

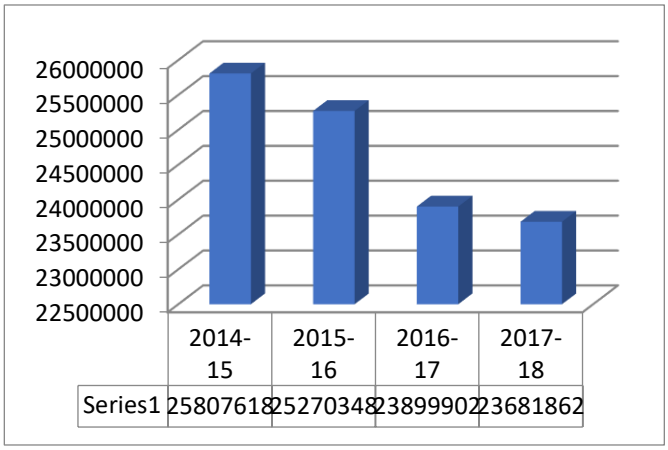

स्रोतः बेसिक शिक्षा निदेशालय, लखनऊ–2018

तथ्यों के विश्लषण से स्पष्ट हो जाता है कि अभिभावकों के अन्दर लिंग आधारित भेद–भाव व्याप्त है जिसके कारण लड़कियों के पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं। लड़कियों के प्रति असुरक्षा की भावना भी विद्यालय छोड़ने का एक प्रमुख कारण है।

तालिका संख्या–2

आयु एवं लिंग	सरकारी	निजी	अन्य	विद्यालय नहीं जा रहे	कुल
6–14 सभी	59.6	36.4	1.1	2.9	100
7–16 सभी	55.4	39.7	1.0	3.9	100
7–10 सभी	64.0	32.2	1.2	1.7	100
7–10 लड़के	60.9	36.3	1.1	1.7	100
7–10 लड़कियां	67.4	29.8	1.3	1.6	100
11–14 सभी	53.2	42.6	0.8	3.4	100
11–14 लाड़के	51.2	45.4	0.7	2.8	100
11–14 लड़कियां	55.3	39.6	1.0	4.1	100
15–16 सभी	35.4	51.5	0.8	12.3	100
15–16 लड़के	35.5	54.5	0.6	9.4	100
15–16 लडकियां	35.4	48.7	0.9	15.0	100

स्रोतः एनुवल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022

निष्कर्ष एवं सुझावः

विश्लेषण से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में बुनियादी और माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शैक्षणिक संस्थानों का विशाल नेटवर्क है। संस्थानों में सरकारी और निजी स्कूल शामिल हैं, इसके अलावा कई धार्मिक स्कूल और संस्थान भी हैं जो बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने निस्संदेह शिक्षा की पहुंच और पहुंच में सुधार किया है, हालांकि, स्कूली शिक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की अभी भी व्यापक गुंजाइश है। प्राथमिक और

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बड़े हिस्से में उचित शैक्षिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं का अभाव है। इसके अलावा कई स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता भी मानक के अनुरूप नहीं पाई गई है।

शिक्षकों को शिक्षण की व्याख्यान पद्धति के साथ–साथ समूह–चर्चा पद्धति और आकर्षण पद्धति का अधिक उपयोग करने पर जोर देने की आवश्यकता है, साथ ही ऑडियो–विजुअल उपकरणों, ओवर–हेड प्रोजेक्टर, मल्टी–मीडिया उपकरणों आदि का अधिक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। संस्थानों को इन उपकरणों के लिए पर्याप्त धन का प्रावधान किया जाना चाहिए और शिक्षकों को इनका अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

REFERENCES

एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट. (2022) *एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER) 2022*

बनर्जी, अदिति. (2014) इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स लर्निंग विद करेक्ट फीडबैक: ए मॉडल प्रपोज़्ड फॉर क्लासरूम यूटिलिटी। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च* **3**(4)।

चंद, दिनेश. (2014) प्राइवेटाइजेशनए ग्लोबलाइजेशन एंड ऑटोनॉमी इन टीचर एजुकेशन। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च*, **1**(1), 90–93।

जंगीरा, एन. के. (1994) स्पेशल एजुकेशन। *फिफ्थ सर्वे ऑफ एजुकेशन*।

कुमार, राजेश. (2016) प्राइवेटाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन एंड क्वालिटी कन्सर्न। *इंटरनेशनल एजुकेशनल जर्नल*। उपलब्ध: www.echetana.com

राव, के. पी. सुभा. (2013) *डाइमेंशन्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन*। नई दिल्ली: आकांक्षा पब्लिशर्स।

शर्मा, प्रतिभा, एवं खान, माहे पेकर. (2018) ए कम्पेरेटिव स्टडी ऑफ एटीट्यूड ऑफ प्रॉस्पेक्टिव टीचर्स टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। *स्कॉलरली रिसर्च जर्नल फॉर ह्यूमैनिटी साइंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज*, **6**(26) https://doi.org/10.21922/srjhsel.v6i26.11439

जुत्शी, भूपिंदर, एवं राय, रमाकांत. (2012) *स्टेटस ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया*। नई दिल्ली: पेंटागन प्रेस।